

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(13)गृह-12/कारा/2000

जयपुर, दिनांक 15 OCT 2014

:: आज्ञा ::

कारागार विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2013 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

महानिरीक्षक कारागार

1.	श्री जे0के0शर्मा	विशेषाधिकारी गृह (जेल) विभाग
----	------------------	------------------------------

अधीक्षक कारागार (प्रथम श्रेणी)

1.	श्री ओटाराम	अधीक्षक, ग्रेड-प्रथम
2.	श्री वी0के0माथुर	अधीक्षक, ग्रेड-प्रथम
3.	श्री ए0आर0नियाजी	अधीक्षक, ग्रेड-प्रथम
4.	श्रीमती प्रीता भार्गव	अधीक्षक, ग्रेड-प्रथम (दिनांक 11.03.2011 से निलम्बित)
5.	श्री शंकर सिंह	अधीक्षक, ग्रेड-प्रथम

अधीक्षक कारागार (द्वितीय श्रेणी)

1.	श्री विश्वेश जोशी	अधीक्षक, ग्रेड-द्वितीय
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	अधीक्षक, ग्रेड-द्वितीय

उपाधीक्षक कारागार

1.	श्री भंवर दान देथा	उपाधीक्षक
2.	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	उपाधीक्षक
3.	श्री राकेश कुमार भार्गव	उपाधीक्षक
4.	श्री विक्रम सिंह	उपाधीक्षक
5.	श्री के0जी0शर्मा	उपाधीक्षक
6.	श्री रामजीलाल मीणा	उपाधीक्षक
7.	श्री महेश चन्द बैरवा	उपाधीक्षक (दिनांक 10.10.2011 से निलम्बित)
8.	श्री सुधीर प्रकाश पुनिया	उपाधीक्षक
9.	श्री कैलाश त्रिवेदी	उपाधीक्षक

10.	श्री संजय यादव	उपाधीक्षक
11.	श्री राजेन्द्र कुमार	उपाधीक्षक
12.	श्री अशोक कुमार वर्मा	उपाधीक्षक
13.	श्रीमती मोनिका अग्रवाल	उपाधीक्षक
14.	श्री परमजीत सिंह सिद्धू	उपाधीक्षक
15.	श्री राकेश मोहन शर्मा	उपाधीक्षक
16.	श्री हेमन्त ढण्ड	उपाधीक्षक
17.	श्रीमती सुमन मालीवाल	उपाधीक्षक
18.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	उपाधीक्षक
19.	श्री मंगलचन्द राठी	उपाधीक्षक
20.	श्री ब्रदीलाल मीणा	उपाधीक्षक
21.	श्री नन्द सिंह शेखावत	उपाधीक्षक
22.	श्री श्रीधर शर्मा	उपाधीक्षक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	उपाधीक्षक
24.	श्री प्रदीप लखावत	उपाधीक्षक


आज्ञा से,

-sd-

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, गृह राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. प्रशासनिक सुधार (अनु-7) विभाग।
8. संबंधित अधिकारीगण - मार्फत महानिदेशक कारागार।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव